

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/54/2019

अपीलार्थी	बनाम	पदाभिहित अधिकारी
विनायक एसोसिएट, तसींग प्राधिकृत प्रतापसिंह पुत्र श्री चन्दगीराम, जाति-चमार, ग्राम-मिलकपुर, तहसील-बहरोड (अलवर) राज.		सक्षम अधिकारी, भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि : 09.07.19

प्रथम अपील अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम-2011

निर्णय

दिनांक: 31.07.19

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने परियोजना सड़क गादोज माजरी कुण्ड सड़क एस.एच-111 एवं माजरी-नीमराना सड़क एस.एच.-111ए के संबंध में खनन 18/875 अवाप्ति में शामिल कर आवासीय दर से मुआवजा देने बाबत प्रार्थना-पत्र दिनांक: 29.05.2019 सक्षम अधिकारी, भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड को प्रस्तुत किया गया।
4. प्रकरण में पदाभिहित अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना-पत्र दिनांक: 29.05.2019 पर कोई निर्णय पारित नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक: 01.07.2019 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्ष को नोटिस क्रमांक: कोर्ट ए.डी.एम. प्रथम/RGDPSA अपील/2019/357-58 दिनांक: 09.07.2019 के माध्यम से तलब कर इस न्यायालय में दिनांक: 17.07.2019 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया। उभयपक्ष के दिनांक: 17.07.19 को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर पत्रांक: 453-54 दिनांक: 24.07.2019 के माध्यम से स्मरण-पत्र जारी कर न्यायालय में उपस्थित होन हेतु लिखा गया फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही किसी प्रकार का जवाब/आक्षेप आदि प्राप्त हुआ।
6. हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील एवं संलग्न प्रा0पत्र दिनांक: 29.05.19 का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 29.05.19 पदाभिहित अधिकारी को राजस्थान लोक सेवाओं की गारण्टी अधिनियम-2011 अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा उक्त प्रा0पत्र दिनांक: 29.05.19 में वांछित सेवा-भूमि का आवासीय दर से मुआवजा दिलाने, उक्त अधिनियम में वर्णित सेवाओं में शुमार नहीं है।
7. उक्त आलोक में अपीलार्थी द्वारा उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक: 01.07.2019 राज्य सरकार द्वारा राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं में शुमार नहीं होने के कारण खारिज कर निस्तारित की जाती है एवं साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम में सूचित सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण जानकारी करके ही अपीलें विधिवत् रूप से संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. निर्णय घोषित।

प्रथम अपीलार्थी अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)